

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-IV) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002**

No. F.3 (96)/Fin (Exp-IV)/2021-22/DS-IV/ 534

Dated: 07/07/21

Notification No. 58/2020– State Tax

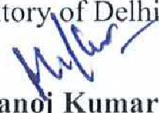
No. F.3(96)/Fin.(Exp-IV)/2021-22/DS-IV/ - In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. (1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Eighth Amendment) Rules, 2020.
(2) They shall come into force from 1st July, 2020.
2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), for the rule 67A, the following rule shall be substituted, namely:-

“67A. Manner of furnishing of return or details of outward supplies by short messaging service facility.- Notwithstanding anything contained in this Chapter, for a registered person who is required to furnish a Nil return under section 39 in **FORM GSTR-3B** or a Nil details of outward supplies under section 37 in **FORM GSTR-1** for a tax period, any reference to electronic furnishing shall include furnishing of the said return or the details of outward supplies through a short messaging service using the registered mobile number and the said return or the details of outward supplies shall be verified by a registered mobile number based One Time Password facility.

Explanation. - For the purpose of this rule, a Nil return or Nil details of outward supplies shall mean a return under section 39 or details of outward supplies under section 37, for a tax period that has nil or no entry in all the Tables in **FORM GSTR-3B** or **FORM GSTR-1**, as the case may be.”.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,


(Manoj Kumar)

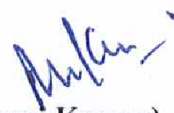
Dy. Secretary IV (Finance)

Dated: 07/07/21

No. F.3 (96)/Fin (Exp-IV)/2021-22/DS-IV/ 534

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.


(Manoj Kumar)

Dy. Secretary IV (Finance)

Note: The principal rules were published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide notification dated the 22nd June, 2017, published vide number F3(10)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/342, dated the 22nd June, 2017 and last amended vide notification No. 50/2020 - State Tax, dated the 07/07/2021, published vide number No. F.3 (95)/Fin (Exp-IV)/2021-22/DS-IV/533, dated the 07/07/2021

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय-IV) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

सं0फा0 03(96)/वित्त (व्यय-IV)/2021-22/डीएस- IV /534

दिनांक: 07/07/21

अधिसूचना संख्या 58/2020-राज्य कर

सं0फा0 03(96)/वित्त (व्यय-IV)/2021-22/डीएस- IV /: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (आठवाँ संशोधन)नियम, 2020 हैं ।
(2) ये 1 जुलाई 2020 से प्रवृत्त होंगे ।
- दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 67क के स्थान पर निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“67क. लघु संदेश सेवा सुविधा के द्वारा विवरणी या जावक आपूर्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत करने का प्रबंध—इस अध्याय में किसी भी बात के होते हुए भी, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के मामले में जिसे धारा 39 के अंतर्गत प्ररूप जीएसटीआर-3ख में किसी कर अवधि की ‘शून्य’ विवरणी भरना अपेक्षित हो या जिसका धारा 37 के अंतर्गत प्ररूप जीएसटीआर-1 में किसी कर अवधि का जावक आपूर्तियों का ब्यौरा शून्य हो, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भरे जाने के किसी भी संदर्भ में उक्त विवरणी या जावक आपूर्तियों का ब्यौरा को रजिस्ट्रीकृत मोबाइल का प्रयोग करके लघु संदेश सेवा के माध्यम से भरे जाने की बात भी शामिल होगी और उक्त विवरणी या जावक आपूर्तियों के ब्यौरे का सत्यापन उसके रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर आधारित ‘वन टाइम पासवर्ड’ की सुविधा के आधार पर किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण:—इस नियम के प्रयोजन के लिए, ‘शून्य’ विवरणी या शून्य जावक आपूर्तियों के ब्यौरे का मतलब, किसी कर अवधि के लिए, धारा 39 के अधीन कोई ऐसी विवरणी है या धारा 37 के अधीन कोई ऐसी जावक आपूर्तियों का ब्यौरा है, जिसमें प्ररूप जीएसटीआर-3ख या प्ररूप जीएसटीआर-1 की सभी सारणी में शून्य दर्शाया गया हो या उसमें कोई प्रवृष्टि ना हो, जैसी भी स्थिति हो।” ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नामपर

(मनोज कुमार)
उपसचिव-IV (वित्त)

सं0फा0 03(96)/वित्त (व्यय-IV)/2021-22/डीएस- IV / 534
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

दिनांक: 07/07/21

- 1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
- 2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार असाधारण में प्रकाशनार्थ।
- 3 सचिव, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 4 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
- 5 माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 6 वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8 संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- 10 मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 11 वेब साईट।
- 12 गार्ड फाइल।


(मनोज कुमार)
उपसचिव-IV (वित्त)

टिप्पण :-मूल नियम सं0फा0 03(10)/वित्त (राजस्व-I)/2020-21/डीएस-VI/342, तारीख 22 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना तारीख 22 जून, 2017 द्वारा दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग- IV में प्रकाशित किए गए और सं0फा0 03(95)/वित्त (व्यय-IV)/2021-22/डीएस- IV /533 , तारीख 07/07/2021 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 50/2020—राज्य कर तारीख 07/07/2021द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।